रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 553] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1984/कार्तिक 23, 1906
[No. 553] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 14, 1984/KARTIKA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1984

का. आ. 841(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कीमतों को उस अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में

नियत करती है जिस पर, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्समान प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, व्यवसेय में विनिर्मित प्रत्येक औषधि का विक्रय किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	औषधि का नाम	अधिकतम विक्रय कीमत रु. प्रति कि. ग्रा.
(1)	(2)	(3)
1	निआसिन (निकोटिनिक अम्ल)	110.00
2	निआसिनामाइड	157.00

[सं. 8(133)/80-औषधि II]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 1984

S.O. 841 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (3) of the Table hereto annexed as the maximum sale price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table shall be sold.

TABLE

Sl. No.	Name of the Drug	Maximum Sale Price Rs./Kg.
(1)	(2)	(3)
1.	Niacin (Nicotinic Acid)	110.00
2.	Niacinamide	157.00

[No. 8(133)/80-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984